ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–1, सेक्टर नॉलेजपार्क–4, ग्रेटर नोएडा सिटी
गौतमबुद्ध नगर 201310

पत्रांकः–नियो0 / एच–07 / 2020 / 20067
दिनांक 06 / 03 / 2020

सेवा में,

मै0 वास्तुनिधि वास्तुविद्
135, ब्लॉक–बी, सैक्टर–44
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

विषयः– **राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,ग्रेटर नोएडा के भवन के लोअर बेसमेन्ट में हो रहे अनवरत वाटर सीपेज में बरते गये डिजाइन सम्बन्धी दोष के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के भवन के लोअर बेसमेन्ट में हो रहे अनवरत वाटर सीपेज के सम्बन्ध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आई.आई.टी.) रुड़की से जॉच कराई गयी। आईआईटी रुड़की द्वारा प्रस्तुत प्रत्योवदन दिनांक 30.10.2019 को प्राप्त हुआ है, जिसमें आई.आई.टी. प्रोफेसरों की टीम द्वारा निष्कर्ष प्रकट किया गया है कि बेसमेन्ट के डिजाइन में स्ट्रक्चरल दोष बरता गया है, जिसके कारण लोअर बेसमेन्ट में अनवरत वाटर सीपेज बना हुआ है। जिस कारण संस्थान में पढ़ने वाले छात्र / छात्राओं / प्रोफेसरों व वहाँ पर आने वाली आम जनता को असुविधा एवं असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही डिजाइन में बरते गये दोष के कारण जनहानि या किसी प्रकार की आकस्मिक घटना घटित होने के सम्भावना है।

अतः एम.ओ.यू. दिनांक 28.03.2008 के प्रस्तर संख्या 5.8 की प्रथम पंक्ति में लिखा गया है किः–" The consultant shall assume full responsibility for the design"। उक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि आरम्भ से अन्त तक डिजाइन के लिए सलाहाकर मूल रुप से उत्तरदायी माना जायेगा। आपके द्वारा राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के निर्माण हेतु तैयार की गयी डिजाइन व ड्राइंग में गम्भीर लापरवाही बरती गयी, जिसके कारण पत्रांकः प्रोजेक्ट वर्क सर्किल–5 / 2019 / 8447, दिनांक 28.06.2019 के जरिए आई.आई.टी रुड़की की अन्तिम रिपोर्ट आने तक इस प्राधिकरण में सभी कार्यो से निलम्बित रखा गया। नियोजन विभाग के पत्रांकः–नियो0 / विविध / 2019 / 117, दिनांक 26.12.2019 व पत्रांकः–नियो0 / एच–07 / 2020 / 693, दिनांक 03.02.2020 के माध्यम से आपसे तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण मॉगा गया था, जिसके कम में आपके द्वारा पत्र दिनांक 05.02.2020 को परियोजना से सम्बन्धित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिस पर परियोजना विभाग द्वारा बिन्दुवार अपना मन्तव्य प्रस्तुत किया गया है(प्रतिलिपि पत्र के साथ सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न) जो कि निम्नवत हैः–

1. आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या–1 व 2 के कम में परियोजना विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा अपने पत्र के साथ कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे स्पष्ट होता हो कि आई.आई.टी दिल्ली द्वारा [illegible] फाउण्डेशन परिवर्तित कर Stitching Slab बनाने के निर्देश दिये गये हो और [illegible]

कोई प्रमाण है कि प्राधिकरण के इंजीनियर ने ऐसा करने का कहा हो। उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग के आधार पर ही Stitching Slab का प्राविधान तत्समय किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा डिजाइन में हुई लापरवाही छुपाने का प्रयास किया जा रहा है।

2. स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या–3 के क्रम में परियोजना विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा इस विषय पर प्राधिकरण को तत्समय कोई पत्र दिया गया हो, उपलब्ध नही है, और न ही आपके द्वारा ऐसे किसी पत्र की प्रति प्राप्त कराई गयी है। जहॉ तक EPDM की गुणवक्ता का प्रश्न है, इसकी भी अलग से जॉच कराई जा सकती है।

3. स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या–4 के क्रम में परियोजना विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन में राफ्ट फाउण्डेशन का प्राविधान न करने की लापरवाही हुई जिसको आपके द्वारा स्वीकार किया गया है, परन्तु आपके द्वारा त्रुटि की जिम्मेदारी आईआईटी दिल्ली व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर डाली गयी है, जिस सम्बन्ध में आपके द्वारा कोई भी साक्ष्य तत्समय राफ्ट फाउण्डेशन की ड्राइंग प्रस्तुत करने का नही दिया गया है। अतः आईआईटी दिल्ली व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा मित्तव्यता हेतु राफ्ट फाउण्डेशन के स्थान पर Stitching Slab का प्राविधान जबरदस्ती कराया गया हो की पुष्टि नही होती है।

तदनुसार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा डिजाइन कार्यो में घोर लापरवाही बरती गयी है, जिसके कारण कोई भी जनहानि होने की सम्भावना प्रतीत होती है। अतः उक्त के दृष्टिगत एम.ओ.यू. में विहित अनुबन्धों का उल्लंघन किये जाने के कारण आपको ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के समस्त कार्यो हेतु ब्लेकलिस्ट किया जाता है।

भवदीय

संलग्नकः–**उपर्युक्तानुसार।**

(कृष्ण कुमार गुप्त)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. अवस्थापना एवं औधोगिक विकास आयुक्त, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
3. स्टॉफ आफीसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संज्ञानार्थ सादर प्रस्तुत।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
5. प्रबन्धक निदेशक, आई.आई.टी.जी.एन.एल. को सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
7. संयुक्त सचिव, औधोगिक विकास अनुभाग–4, उ0 प्र0 शासन को सूचनार्थ।
8. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
9. महाप्रबन्धक(परियोजना), ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
10. कॉउसिल ऑफ आर्केटेक्ट, इण्डिया हैबीटेट सेन्टर कोर 6बी, प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
11. उप विधि अधिकारी को सूचनार्थ।
12. प्रबन्धक(सिस्टम) को प्राधिकरण की बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

06.2.2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

01, सैक्टर नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला – गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)–201308

पत्रांकः ग्रे0नौ0 / प्रोजेक्ट / वर्क सर्किल–7 / 2020 / 8478 दिनांकः 25 / 02 / 2020

सेवा में

श्री वैभव गुप्ता,
प्रभारी (नियोजन)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।

विषयः राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नौएडा के भवन के लोअर बेसमेन्ट में हो रहे वाटर सीपेज के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः नियो0 / एच–07 / 2020 / 12829 दिनांक 14.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के भवन के लोअर बेसमेन्ट में हो रहे वाटर सीपेज के सम्बन्ध में मै0 वास्तुनिधि, वास्तुविद द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.02.2020 के माध्यम से तथ्यों सहित उपलब्ध करायी गयी आख्या / रिपोर्ट की एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु परियोजना विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः मै0 वास्तुनिधि, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट / स्पष्टीकरण के अनुसार परियोजना विभाग की आख्या निम्नानुसार हैः–

बिन्दु संख्या–1 मैसर्स वास्तुनिधि द्वारा यह अरोप लगाया गया कि उनके द्वारा Extended Basement में भी Raft Foundation का प्राविधान किया गया था परन्तु आई0आई0टी0 दिल्ली द्वारा Stitching Slab का प्राविधान मितव्यता के दृष्टिगत Client की सहमति से उनके उपर जबरदस्ती कराया गया था। यह भी अकिंत किया गया है कि उनके द्वारा Soil Testing के आधार पर Raft Foundation ही प्रस्तावित की गयी थी, परन्तु आई0आई0टी0 दिल्ली द्वारा Stitching slab का प्राविधान जबरदस्ती किया गया, जबकि इस सम्बन्ध में उनकी कई बार वार्ता भी हुई तथा ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के Engineers द्वारा भी Consultant से ऐसा करने के लिये कहा गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मै0 वास्तुनिधि द्वारा अपने पत्र के साथ कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आई0आई0टी0 दिल्ली द्वारा Raft Foundation परिर्वतित कर Stitching Slab बनाने के निर्देश दिये गये हो और ना ही इसका कोई प्रमाण है कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के Engineers ने ऐसा करने को कहा हो। उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है **(पताका–क)** कि उनके द्वारा प्रस्तुत Drawing के आधार पर ही Stitching Slab का प्राविधान तत्समय किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मै0 वास्तुनिधि द्वारा उनके Design में हुयी लापरवाही को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में आई0आई0टी0 दिल्ली से भी इसकी पुष्टि किया जाना उचित होगा।

ACEO(G)
CEO 27/2/2020
ACEO(S) 27/2/2020
SE(PIS) 27/02/2020

बिन्दु संख्या–2 इस सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–1 पर आख्या दी जा चुकी है।

बिन्दु संख्या–3 मै0 वास्तुनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि निर्माण के समय यह बात नोटिस की गई थी कि Stitching Slab का Rainforcement कॉलम के Through नही डाला गया था जो एक जॉच का विषय है, जिसकी जॉच कराई जाये, परन्तु उनके द्वारा इस विषय पर प्राधिकरण को तत्समय कोई पत्र दिया गया हो, उपलब्ध नही है, और न ही उनके द्वारा ऐसे किसी पत्र की प्रति दी गयी है। जहॉ तक EPDM की गुणवत्ता का प्रश्न है, इसकी भी अलग से जॉच कराई जा सकती है।

बिन्दु संख्या–4 मै0 वास्तुनिधि द्वारा अपनी आख्या के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

उपरोक्त के कम में यह अवगत कराना है कि मै0 वास्तुनिधि से जो भी Structure Design में Raft Foundation का प्राविधान न करने की लापरवाही हुई है जिसको उनके द्वारा स्वयं भी स्वीकार किया गया, परन्तु अब वह इस त्रुटि की जिम्मेदारी आई0आई0टी0 दिल्ली व ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के Engineers पर डालना चाहते है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई भी साक्ष्य तत्समय Raft Foundation की Drawing प्रस्तुत करने का नही दिया गया है। अतः आई0आई0टी0 दिल्ली/ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा मित्तव्यता हेतु Raft Foundation के स्थान पर Stitching Slab का प्राविधान जबरदस्ती कराया गया हो की पुष्टि नही होती है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(श्रीपाल सिंह)
वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–7

प्रतिलिपिः-

- स्टॉफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- महाप्रबन्धक (परियोजना–।) महोदय को सादर सूचनार्थ।

25/11/2020

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–7